



स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय  
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल ०२

Phone : 2661263, 2737446 Fax: 2661263 Website: bsgmp.net E\_mail: bsgmadhyapradesh@gmail.com

क्र०/३५४/ /रा०मु०/प्रशि.स्का./२०१८  
प्रति,

भोपाल, दिनांक १५.१०.१८

- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त ज.जा.का.वि.  
पदेन जिला कमिश्नर स्काउट  
जिला मध्यप्रदेश
  - समस्त सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्का./गा)  
संभागीय मुख्यालय मध्यप्रदेश
- विषय :- फर्स्ट एड कोर्स (स्का./गा.) का आयोजन।  
संदर्भ :- राज्य के वार्षिक कार्यक्रम सत्र २०१८-१९ के अनुसार ।

उपरोक्त सन्दर्भ एवं विषयांतर्गत राज्य मुख्यालय द्वारा प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण शिविर (स्का./गा.) का आयोजन किया जा रहा है जिसकी जानकारी निम्न अनुसार है।

1.	कार्यक्रम का नाम	प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण शिविर (स्का./गा.)
2.	अवधि	दिनांक १५.११.२०१८ से १९.११.२०१८
3.	स्थान	संभागीय प्रशिक्षण केन्द्र जामठी बैतूल म.प्र.
4.	उपस्थिति दिनांक	दिनांक १५.११.२०१८ को रजिस्ट्रेशन ८:०० प्रातः यूनिफार्म में होगा। विलम्ब से आने वालों को सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
5.	वापसी	१९.११.२०१८ को दोपहर भोजन के पश्चात अपरान्ह ०३.०० बजे।
6.	शुल्क	शिविर शुल्क ३७५.०० रु. प्रति व्यक्ति शाला निधि से देय। विकास+विशेष शुल्क १५०.०० रु. प्रति व्यक्ति शाला निधि से देय।
7.	कोटा	प्रत्येक जिले से ०५+०५ एडवांस/हि.वु.बै. स्काउटर गाइडर भाग लेंगे।
8.	आवश्यक सामग्री	उपयोग केम्प किट, दो जोड़ी यूनिफार्म ए.पी.आर.ओ.भाग-२/३ के अनुसार स्काउट विभाग लेस वाले काले जूते, काले मोजे, स्कार्फ बागल, नायलेक्स बेल्ट। गाइड विभाग-काले जूते केमल कलर मोजे वागल नायलेक्स बेल्ट, नेमप्लेट सफेद रंग की।
9.	सामान्य सामग्री	टार्च मच्छरदानी, ओडोमास ट्यूब, पर्सनल, दवाईया, मौसम अनुसार विस्तर, चार्ट पेपर, पेन, पेंसिल, मार्कर, पेन, गाढे की तीन मीटर रस्सी, २०० पेज नोटबुक, ट्रेक सूट, व्यक्तिगत दवाईया फर्स्ट एड बाक्स आदि। आधार कार्ड, बेसिक, एडवांस एवं वारंट मूल प्रति।
१०.	बुक्स	ए.पी.आर.ओ.पार्ट २,३ / स्काउटर फार ब्याज, स्काउट मास्टर की ओर सहायता।

अतः निर्देशित किया जाता है कि अपने जिले/संभाग की प्रतिभागिता सुनिश्चित करते हुए शिविर में सम्मिलित होने वाले प्रतिभागियों की सूची दिनांक ३०.१०.२०१८ तक अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को प्रेषित करें। सम्मिलित होने वाले शास.शिक्षक/शिक्षिका को नियमानुसार संबंधित विभाग से यात्रा भत्ता एवं अग्रिम की पात्रता होगी। अशास.विद्यालय के शिक्षक/शिक्षिका को समस्त भुगतान शाला निधि/जिला संघ से देय होगा।

(आलोक खरे)

राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड

भोपाल, दिनांक १५.१०.१८

पृ०क्र०/३५४२ /रा०मु०/प्रशि./२०१८

प्रतिलिपि :- आवश्यक कार्यार्थ एवं सूचनार्थ ।

- आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. गौतम नगर भोपाल।
- आयुक्त ज.जा.का.वि. म.प्र. सतपुड़ा भवन भोपाल।
- संयुक्त संचालक लोक शिक्षण/संभागीय उपायुक्त ज.जा.का.वि. संभागीय कार्यालय संभाग म.प्र.
- जिला सचिव/जिला संगठन/प्रशिक्षण आयुक्त जिला संघ म.प्र.।
- वार्डन संभागीय प्रशिक्षण केन्द्र जामठी बैतूल म.प्र.।

राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड